सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 07/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2016/00002

अनवान

1. श्री काना पिता कावा मीणा निवासी राणी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भावेश पिता हीरा मीणा, निवासी राणी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 03-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ग्राम राणी तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर का मूल निवासी होकर सद्भावी कृषक के रूप में कृषि कार्य करता आ रहा है। प्रार्थी के जीवन काल के पूर्व से ही मौजा राणी, तहसील खेरवाडा के हाल आराजी नंबर 550, 551 पर कब्जा चला आ रहा है एवं इन आराजीयात की भूमि का प्रार्थी एवं उसका परिवार उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पुत्र रमेश एवं हीरालाल के मकान बने होकर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी के कुल 9 पुत्र है तथा उसके खाते में करीब 1.1300 हेक्टेयर भूमि है। इसके अतिरिक्त आराजी नं.550 एवं 551 की भूमि उसके खाते से भूमि लगी होकर प्रार्थी सहित उसके 8 पुत्रों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मेरा सबसे बडा पुत्र हीरालाल गुजरात में पी.डब्ल्यू.डी में बाबू होकर 3 वर्ष पूर्व रिटायर्ड होकर गांव में आकर निवासरत है। उसने अधिनस्थ कर्मचारियों से साठ–गांठ करके वर्ष 2013 में आराजी संख्या 550 एवं 551 अपने पुत्र भावेश के नाम पर आवंटित करवा ली। उक्त आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा गांव में चस्पा नही की गई एवं मौका जांच किये बिना ही उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 वक्त आवंटन विद्यार्थी होने से सद्भावी कृषक की परिभाषा में नही आता है एवं उसके पिता सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी होने से नियमानुसार उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को नही किया जा सकता है। अतः

ऐसा आवंटन अवैध एवं शून्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं है। आराजी संख्या 550 एवं 551 पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नही रहा बल्कि विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होकर वही काश्त करता चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी के पुत्र का कोई मकान नहीं है एवं कुंआ भी उत्तरदाता के पिता द्वारा ही खुदवाया गया है। प्रार्थी उत्तरदाता के रिश्ते में दादा लगता है एवं वह कुंए से पानी का उपयोग उत्तरदाता की इजाजत से ही करता है। जहां तक विद्युत कनेक्शन का प्रश्न है कुंआ उत्तरदाता के कब्जेशुदा भूमि में स्थित है लेकिन प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 व उसके पिता की इजाजत से विद्युत कनेक्शन अपने नाम पर लिया है। विपक्षी संख्या 1 के पिता का गुजरात में बाबू के पद से रिटायर होने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी भी अधिकारी से सांठ–गांठ करके आराजी संख्या 550 एवं 551 का आवंटन स्वयं के नाम पर नहीं कराया है। आवंटन नियमों के तहत समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी हुई है एवं उत्तरदाता के पिता राजकीय सेवा से अवश्य रिटायर हुए है, किन्तु उत्तरदाता एवं उसके पिता का स्टेट्स अलग–अलग होकर उत्तरदाता उनसे अलग निवास करते है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन प्रार्थी संख्या 1 की सहमति से हुआ है। आवंटन नियमों की पालना करने से आवंटी को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार उक्त आवंटन नियमानुसार होने से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार, खेरवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/788 दिनांक 24.03.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम राणी के आराजी संख्या 550 रकबा 0.72 हेक्टेयर किस्म पहाड एवं आराजी संख्या 551 रकबा 0.1100 हेक्टेयर किस्म पहाड़ बिलानाम सरकार में से विपक्षी संख्या 1 श्री भावेश पिता हीरालाल को आराजी संख्या 550 में से 0.6000 हेक्टेयर एवं 551 में सम्पूर्ण 0.1100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7100 हेक्टेयर भूमि आवंटन होकर नामान्तरकरण संख्या 64 से गैर खातेदार दर्ज हुआ है। जिसके नये नम्बर 666/550 रकबा 0.6000 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 551 रकबा 0.1100 हेक्टेयर है। वर्तमान में नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 20.07.2016 द्वारा आराजी नम्बर 550 में से 0.5000 हेक्टेयर एवं 551 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.6100 हेक्टेयर भूमि श्री भावेश पिता हीरालाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुआ। आराजी नं. 666/550 का शेष रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि पर अन्य का कब्जा होने के कारण विपक्षी संख्या 1 श्री भावेश पिता हीरालाल को खातेदारी अधिकारी प्रदान नही किये गये है, शेष रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि पर

रमेश पिता काना का कब्जा होना अवगत कराया गया है साथ ही पक्का मकान जिसका नाप 35 x 31 वर्गफीट का है। उसके आसपास खाली पडत भूमि पर भी रमेश पिता काना का कब्जा होना बताया गया है। तहसीलदार खैरवाड़ा, जिला उदयपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा से प्रकरण से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली संख्या 276/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपख के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 18.02.2013 को निरस्त करने की मांग की तथा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को 91 की कार्यवाही न होने, विपक्षी संख्या 1 के राजकीय सेवा में होने, सद्भावी कृषक ना होने, मिसरिप्रजेन्टेशन होने, प्राथमिकता का अनुसरण नही करने एवं मिलीभगत से आवंटन करने से उक्त आवंटन को अवैध एवं शून्य बताया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसे आवंटन को निरस्त करने की मांग करते हुए अपने समर्थन में निम्नलिखित दृष्टान्त पेश किये :–

आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ संख्या 1

आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ संख्या 629

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी प्रार्थी के परिवार का ही सदस्य है तथा उक्त भूमि पर विपक्षी की मांग रतनी का कब्जा रहा है। जिसकी 91 के रसीदे उसकी माँ द्वारा जमा करायी गयी है। विपक्षी संख्या 1 को 2016 में ही खातेदारी अधिकार मिल चुके है। जहां तक मकान का प्रश्न है विपक्षी को प्रार्थी की मकान की जगह छोडकर ही आवंटन हुआ है। किसी भी नियम में विद्यार्थी होने आवंटन से बाहर नहीं किया जा सकता है। विपक्षी के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावा करने के कारण प्रार्थी द्वारा यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी संख्या 550 रकबा 0.6000 एवं 551 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7100 का है। जिस पर उभयपक्ष का अपना अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 276/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा श्री भावेश पिता हीरालाल द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम में विधायक, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान, तहसीलदार एवं आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा के हस्ताक्षर मौजूद है।

पत्रावली में आवंटी की मां श्रीमती रतनी पत्नी हीरा के नाम जारी धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे भी मौजूद है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता में विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो या गलत तरीके से आवंटन होना जाहिर नही होता है। वर्तमान में उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन मे किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा मौजा राणी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 550 रकबा 0.6000हे. व आराजी संख्या 551 रकबा 0.11000हे. कुल किता 2 रकबा 0.7100हे. पर उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा मिसल नम्बर 276/2013 से विपक्षी संख्या 1 श्री भावेश पिता हीरालाल के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.02.2013 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर